राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 1547/III/14 — जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
27.5.14	यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, लवकुशनगर व्दारा प्रकरण कमांक 224/12713 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 13–5–14 केविरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।	

2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश दिनांक 13–5–14 के अवलोकन पर पाया गया कि तहसीलदार लवकुशनगर के आदेश दिनांक 23–5–13 के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदक ने प्रथम अपील प्रस्तुत की, जिसमें अवधि विधान की धारा–5 का आवेदन दिया गया। अनुविभागीय अधिकारी ने अंतरिम आदेश दिनांक 13–5–14 से निर्णय लिया है कि अनावेदक को तहसील न्यायालय व्दारा विधिवत सूचना जारी नहीं दी गई है इसलिये उन्होंने धारा–5 का आवेदन स्वीकार कर विलम्ब क्षमा किया है।

4/ प्रकरण में विचार योग्य बिन्दु यह है कि क्या अनुविभागीय अधिकारी ने विलम्ब क्षमा करने में किसी प्रकार की त्रृटि की है ?

1. भू राजस्व संहिता 1959 (म.प्र.)–धारा 47 एंव परिसीमा अधिनियम, 1963– धारा 5 – पर्याप्त कारण होने से न्यायालय बैवेकिक अधिकारिता का प्रयोग कर विलम्ब क्षमा कर सकता है– उद्घोषणा तथा समन विधि के अनुसरण में नहीं होने पर विलम्ब माफ किया जायेगा।

2. परिसीमा अधिनियम, 1963–धारा 5 एंव भू राजस्व संहिता1959(म.प्र) –धारा 47 – सामान्यतः तकनीकी आधार पर मामले के गुणागुण की उपेक्षा नहीं की जाना चाहिये एंव पर्याप्त कारण पाये जाने पर उदार–रूख अपनाया जाकर विलम्ब क्षमा करना चाहिये।

उपरोक्त विवेचना से पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर व्दारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 13–5–14 उचित है जिसमें किसी प्रकार का दोष नजर नहीं आने से निगरानी अस्वीकार की जाती है। पक्षकार टीप करे। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें।

27-5-14

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर